नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सहायक कलक्टर (मु०) सीकर
फूल कवर बनाम मोहन सिंह
दावा 05/2011

साथ ही फूल कवर द्वारा नोटेरी शुद्धावसीयत दिनांक 5-2-2009 प्रस्तुत की। प्रतिवादी एडवोकेट एवं वादी अधिवक्ता के प्रकरण में दिनांक 8-6-2017 को प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर निवारण करने का निवेदन किया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवेदन कायम मुकाम स्वीकार कर मृतक वादिया का नाम वसीयत नामा दिनांक 5-2-2009 के आधार पर हटक किया जाता है। एवं दिनांक 8-6-2017 को प्रस्तुत पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर दाखिल दफ्तर हो। फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो।

19.7.17
सहायक कलक्टर (मु०)
सीकर

निर्णय आज दिनांक 19/7/2017 को सबके इजलास सुनाया गया।

19.7.17
सहायक कलक्टर (मु०)
सीकर

2/8/17 पत्रावली प्रार्थी मै० लोटस डेयरी के जरिये अधिवक्ता उभय पक्ष के प्रार्थना पत्र का बत पूर्ण विलोकन एवं धारा 152 CPC पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 19.7.2017 में प्र० नं० 2 के अन्तिम पंक्ति

जबकि P.D व जमाबंदी के अनुसार उक्त हिस्सा 7/24 है। इसी प्रकार पृष्ठ नं 3 में कमल कंवर W/O स्व० बलवन्त सिंह का हिस्सा 1/3 लिपिकीय भूल से अंकित हो गया जबकि P.D व जमाबंदी के अनुसार 1/8 हिस्सा अंकित होना चाहिए था। अतः निर्णय व डिक्री में लक्ष्मण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह का हिस्सा 7/4 के स्थान पर हिस्सा 7/24 व कमल कंवर W/O स्व० बलवन्त सिंह का हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/8 अंकित किये जाने के आदेश प्रसारित।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना। पत्रावली में P.D प्रपत्र व निर्णय का अवलोकन किया। विचारणीय है कि निर्णय दिनांक 19-7-2017 में लक्ष्मण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह का हिस्सा 7/24 के स्थान पर 7/4 एवं कमल कंवर W/O स्व० बलवन्त सिंह हिस्सा 1/8 के स्थान पर हिस्सा 1/3 हक के लिपिकीय भूल से अंकित हो गया है। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 19-7-17 में लक्ष्मण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह हिस्सा 7/4 के स्थान पर 7/24 एवं कमल कंवर W/O स्व० बलवन्त सिंह हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/8 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

02/8/17

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर